FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

प्रगाराम बनाम उगमाराम वगैरह

किस्म मुकदमा 111, 128 LLR act नं. 188/2020 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.20	प्रार्थी/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री नरपत पुरोहित ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा 111, 128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोन्डेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08.09.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
08/09/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 21/09/2020 को पेश हो।	
21/09/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत पास पास आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के बिच जो पुरानी माडे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाएं का ध्यान	

(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:44:11 IST
Reason: SelfAttested

यायालय उपख
दन / 2020 / 681
वेदन संख्या –188 / 202
प्रार्थी

नहीं पड़ता है। जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेढों को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढों का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली कोमल कुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) विवेक व्यास
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:44:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

.वेदन / 2020 / 681

.विदन संख्या –188 / 2020

दिनांक :– 22/09/2020

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री प्रागाराम पुत्र पूनमाराम
जाति–मेघवाल,
निवासी–कसुम्बला हरचंद,
तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

श्री लुम्बाराम पुत्र हरूराम वगैरा 5,
निवासी–कसुम्बला हरचंद,
तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–कसुम्बला हरचंद, पटवार मण्डल–कसुम्बला भाटियान, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 123/70 रकबा 36.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक :– 22/09/2020

कमांक / आवेदन / 2020 / 682-686

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री प्रागाराम पुत्र पूनमाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री लुम्बाराम पुत्र हरूराम वगैरा 5।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:44:11 IST
Reason: SelfAttested